U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj ,oa inu Hkw&vfHkys[k funs'kd
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 71/2019

vihykUV बनाम **jLikMUV l**

1. मूल सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   निवासी– काजासर (भैसडा),
   तहसील– भणियाणा, जैसलमेर।

1. बाबूसिंह पुत्र शोभसिंह
2. डूंगरसिंह पुत्र शोभसिंह
3. पवर्तसिंह पुत्र अजीतसिंह के का0मु0–
   1. सोहनकंवर पत्नि
   2. समुन्द्रसिंह पुत्र
   3. जालमसिह पुत्र
   4. चम्पाकंवर पुत्री

   सभी निवासी– काजासर (भैसडा),
   तहसील– भणियाणा, जैसलमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भणियाणा।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, भैसडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 14.05.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 34/2019 अनवान बाबूसिंह वगैराह बनाम परबतसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पी0आर0 मेघवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 3 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

fu.k;

fnukad% 04 fnlEcj] 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2019 अनवान बाबूसिंह वगैराह बनाम परबतसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2019 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि ग्राम काजासर के खसरा संख्या 175 रकबा 253.12 बीघा की आई हुई है जिस पर उनका कब्जा व काश्त करते हुए उपयोग/उपभोग किया जा रहा है तथा भूमि लटठा ट्रेस में तरमीम शुदा है। उक्त खसरा भूमि के समीप ही ख0सं0 175/909 रबा 3.10 बीघा गैर मुमकीन मगरा आई हुई जिस पर से अप्रार्थीगण (अपीलान्टस) जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते रहे है जिसके कारण उक्त वादग्रस्त खसरान भूमि की पडौसी सीमाओं का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाकर भूमि का सुरक्षित करवाना चाहता है।

3. अधिनस्थ न्यायालय के रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 के द्वारा उक्त खसरा भूमि की पैमाइश कर अप्रार्थीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्जभूमि तक के रकबे को बिना प्रभावित किये पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अभिभाषकों के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए यह भी कथन किया कि ग्राम काजासर में अपीलान्ट के खेत ख0सं0 164 रकबा 1 बीघा, ख0सं0 165 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा तथा अपीलान्टस व रेस्पो0 संख्या 3 के वारिसान की संयुक्त खातेदारी की भूमि0 ख0सं0 175/909 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ख0सं0 175 रकबा 253 बीघा 12 बिस्वा भूमि उसके समीप पडौस में स्थित है। खसरा संख्या 175 की भूमि के समीप वाली 06 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से ही अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 3 के पूर्वजों व वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु सेटलमेन्ट की कार्यवाही के द्वारा उक्त 06 बीघा भूमि भी ख0सं0 175 में मिला दी गई जबकि उक्त 06 बीघा भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त है। कब्जे के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा

भी अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। परन्तु रेस्पो0 संख्या एक व दो उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में उनके कब्जे काश्त वाली भूमि पर कब्जा करना चाहते है।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 3 के पूर्वज परबतसिंह जिनका देहान्त पूर्व में हो चुका था, उन्हें भी पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहने के समय अपीलान्ट के द्वारा अपने अभिकथनों में इस स्थिति से अवगत कराया था। जिस पर मृतक खातेदार के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या एक परबतसिंह के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश आदेशिका पर पारित किये थे, उसके उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा न तो संशोधित वाद शीर्षक पेश किया और न ही उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही की। अधिनस्थ न्यायालय भी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व ऐसी कार्यवाही सम्पादित नहीं करवाई और मृतक खातेदार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी पालना किया जाना कानूनी तौर पर सम्भव नहीं है। रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो के प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि की बिना पैमाइश करवाये एवं उज्र एतराज सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश विधि विपरित एवं मृतक खातेदार के विरूद्ध पारित किया हुआ होने के कारण निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावे।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया था कि ग्राम काजासर के खसरा संख्या 175 रकबा 253.12 बीघा की आई हुई है जिस पर

उनका कब्जा व काश्त करते हुए उपयोग/उपभोग किया जा रहा है तथा भूमि लटठा ट्रेस में तरमीम शुदा है। उक्त खसरा भूमि के समीप ही ख0सं0 175/909 रबा 3.10 बीघा गैर मुमकीन मगरा आई हुई जिस पर से अप्रार्थीगण (अपीलान्टस) जबरदस्ती कब्जा करने की बार–बार कोशिश किसे जाने के कारण खातेदारी भूमि की उक्त खसरान भूमि की सुरक्षा हेतु तथा पडौसी सीमाओं का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी की जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाइश करने एवं अप्रार्थीगण यानि वर्तमान अपीलान्टस की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि तक के रकबे को बिना प्रभावित किये पक्की नेखमबन्दी स्थापित करने का दिनांक 14.5.2019 को आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जिसे बहाल रखा जावें।

8. इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पो0 संख्य 3 के पूर्वज परबतसिंह के फौत होने की जानकारी सामने आने पर उनके द्वारा उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने तथा संशोधित वाद शीर्षक तत्समय ही पेश कर दिया था और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उन्हें पक्षकार बनाये जाने के आदेश भी दिये जा चुके थे। परन्तु अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अपीलाधीन आदेश में उनके वारिसान के नाम अंकित नहीं किये गये है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त खातेदार व्यक्ति को अपनी भूमि की पैमाइश व सीमाज्ञान करवाकर उसकी नेखमबन्दी का अधिकार है। अतः अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावे।

9. हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 3 के पिता/पति परबतसिंह के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान को

रेकर्ड पर लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने तथा संशोधित वाद शीर्षक पेश किये हुए है, परन्तु रेस्पो0 संख्या 3 के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया नहीं पाया गया है और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में भी अप्रार्थीगण के रूप में मृतक पर्वतसिंह का नाम अंकित करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा।

vkn'k

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपील प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नेखमबन्दी के आदेश दिये जाने से पूर्व सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरान्त नये सिरे से पुनः आदेश पारित करें। इस हेतु दोनों पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]

tks/kiqj